(2)

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 45/2017
बलीमुहम्मद वगैरह -बनाम- नुरमुहम्मद वगैरह
धारा 144 दं० प्र० सं० के तहत

आदेश फलक

15-06-17 अभिलेख उपस्थापित। सुनवायी के क्रम में प्रश्नगत विवादित भूमि धनवार थाना अन्तर्गत मौजा-जोरासिमर खाता नं० 02 प्लॉट नं० 05 रकबा 5.20 एकड़ के मध्ये 4.10 एकड़ के बारे में द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्ष के भाई रहमत मियाँ वगैरह पिता -भादु मियाँ के नाम से बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा दिनांक 26.5.1958 में ही हासिल है। जिसका जमाबन्दी कायम होकर रसीद निर्गत है। उक्त संदर्भ में द्वितीय पक्ष के द्वारा कागजातों की छाया प्रतियाँ दाखिल किया गया।

द्वितीय पक्ष उपस्थित रहे हैं। सुनवायी के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि के बारे में अंचल अधिकारी धनवार के पत्रांक 352/दिनांक 12-4-17 के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा द्वितीय पक्ष गण नुरमोहम्मद वगैरह का है। प्रथम पक्ष को इस वाद में भूमि को लेकर कोई अभिरुचि नही रही न ही वो न्यायालय में उपस्थित हुए। इस लिए इस वाद में निषेधाज्ञा लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता।

अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 15/6/17
अनु० दण्डा०

(हस्ताक्षर)
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ।

Scanned with CamScanner